संख्या- 649 /26-ब0प्र0-2013-2 बजट/ 2012टीसी-2

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2013

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु रू0 3554.78 लाख (रू0 पैंतीस करोड़ चौवन लाख अटठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के विभिन्न घटकों हेतु मात्राकृत धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	मद	धनराशि लाख रू0 में
1	ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्य (कवरेज)	1477.34
2	गुणवत्ता प्रभावित कार्यक्रम	628.65
3	संचालन एवं अनुरक्षण	471.49
4	जल गुणवत्ता इकाई (बैक्टीरियोलाजिकल)	848.40
5	जल गुणवत्ता इकाई (केमिकल)	128.90
	योग	3554.78

2. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक 28-03-2013 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोग्राम एकाउन्ट में जमा की जायेगी।

4. धनराशि एस0एल0एस0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष अवमुक्त की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आवश्यकता का आंकलन करते हुए केवल अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 की गाइड लाइन के अनुरूप किया जायेगा।

6. पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि में से 65 प्रतिशत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, 17.5 प्रतिशत महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी एवं 17.5 प्रतिशत महाप्रबन्धक जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत धनराशि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रख

http://shasanadesh.up.nic.in

रखाव पर ही व्यय की जायेगी तथा ऐसी किसी भी ग्रामीण पेयजल योजना जिसके अनुरक्षण का दायित्व ग्राम पंचायत का है पर कदापि व्यय न की जाय।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिए अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ उत्तरदायी होगें।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु है एवं इसमें किसी भी प्रकार का सेन्टेज सम्मिलित नहीं है।

10. शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-01-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम(एन0आर0डी0डब्लू0पी0)(के.50/रा.50-रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2122/दस-2013, दिनांक 13 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

संख्या- 649(1)/26-ब0प्र0-2013-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी मण्डल, झांसी/चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-3/वित्त(आय-व्ययक)अनु0-1/2
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

htpp://shasanadesh.up.nic.in